उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undretaking)

शक्ति भवन, विस्तार, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ

संख्या– 1293 –औ0सं0/2013–64/ए0एस0/02 दिनांक 4 मई, 2013

1. प्रबन्ध निदेशक,
मध्यांचल/पूर्वान्चल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल,
विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को,
लखनऊ/वाराणसी/आगरा/मेरठ/कानपुर।

2. मुख्य अभियन्ता (जल–विद्युत),
समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण)/पारेषण,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,

विषय :– विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, द्वारा दिनांक 13.05.2013 से 04 शहरो के विद्युत वितरण के निजीकरण के फैसले के विरोध में अनिश्चितकालीन कार्य–बहिष्कार की नोटिस के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 04 शहरो के विद्युत वितरण के निजीकरण के फैसले के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, (जिसमें उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद अभियन्ता संघ, विद्युत मजदूर पंचायत, विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन, उ0प्र0 बिजली कर्मचारी संघ, हाइड्रो इलेक्ट्रिक इम्पलाईज यूनियन (इण्टक), उ0प्र0 विद्युत मजदूर संघ, यू0पी0 बिजली बोर्ड इम्पलाइज यूनियन, बिजली मजदूर यूनियन उ0प्र0, उ0प्र0 ताप विद्युत मजदूर संघ कुल 08 यूनियनें सम्मिलित हैं) द्वारा दिनांक 13.05.2013 से अनिश्चितकालीन कार्य–बहिष्कार की नोटिस दिया है। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0, का अनिश्चितकालीन कार्य–बहिष्कार का नोटिस अनुचित व अवैधानिक है।

आप विदित है कि उ0प्र0 शासन ने उ0प्र0 आवश्यक सेवाओ का अनुरक्षण अधिनियम–1966 के अर्न्तगत ऊर्जा क्षेत्र के अधीन समस्त सेवाओं में अधिसूचना संख्या–2932/24–पी–2–12–1(121)/04 दिनांक 20.12.2012 द्वारा छः माह के लिये हड़ताल निषिद्ध की है जिसकी सूचना आपको कारपोरेशन (मुख्यालय) के पृष्ठांकन संख्या–3952–औ0सं0/2012 दिनांक 28.12.2012 द्वारा पूर्व में दी जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हड़ताल करना, उकसाना व कार्यो में व्यवधान आदि उत्पन्न करना न केवल अनुचित अपितु अवैधानिक भी है।

अतः विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उ0प्र0 द्वारा दिनांक 13.05.2013 से अनिश्चितकालीन कार्य–बहिष्कार की नोटिस को दृष्टिगत रखते हुये विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य बनाये रखना सुनिश्चित किया जाये तथा कारपोरेशन की सम्पत्तियों, विद्युत केन्द्रों व सयन्त्रों तथा निष्ठावान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये तथा आवश्यकतानुसार जिला–प्रशासन से सम्पर्क कर सहयोग प्राप्त किया जाये।

यह भी अनुरोध है कि कार्य–बहिष्कार की अवधि में अधिकारियों/कर्मचारियों को (विशेष परिस्थितियों को छोड़कर) अवकाश स्वीकृत न किया जाये तथा अनुपस्थित होने वाले कर्मियों के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–929–औ0सं0/17/पाकालि/2001–3 ए0/79 दिनांक 31.03.2001 में निहित प्राविधानों के अनुपालन में **"काम नही तो वेतन नही"** के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन किया जाये तथा कार्य–बहिष्कार में शामिल कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाये।

कृपया इस सम्बन्ध में कृत कार्यवाही से निदेशक (का0प्रब0 एवं प्रशा0) महोदय को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)

संख्या– 1293 –(1)–औ0सं0/2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर सचिव–प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

क्रमशः....2

2– संयुक्त सचिव (कार्य), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को नोटिस की प्रति सहित कान्टीजेन्ट प्लान एवं समस्त आवश्यक व्यवस्थाये पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

3– समस्त महाप्रबन्धक (लेखा)/उप महाप्रबन्धक (लेखा),/उप मुख्य लेखाधिकारीगण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

4– समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

5– कारपोरेशन मुख्यालय/लेखा–शाखा के समस्त अधिकारीगण, शक्ति भवन, लखनऊ।

6– अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, शक्ति भवन, लखनऊ को कारपोरेशन की वेब साइट **www.uppcl.org** पर लोड करने हेतु।

7– कट फाइल।

(सुनील दत्त शर्मा)
महाप्रबन्धक (औ0सं0)